न्यायालयः अनुविभागीय अधिकारी (रा0) प्रतापपुर,जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

प्ररूप –ङ.

(नियम 7(2)देखिये)

//अनुज्ञा//

क्रमांक 2468 /वाचक/2025 प्रतापपुर,दिनांक 04/07/2025

प्रति,

कार्यपालन अभियंता,
लो.नि.वि.(भ/स) संभाग–सूरजपुर

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—0—

विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र कमांक 428/तक./2024–25 सूरजपुर दिनांक 25.04.2025 अनुसार प्रतापपुर में ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य हेतु प्राप्त भूमि से पेड़ों की कटाई हेतु उक्त आवंटित भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 3.5200 हे. भूमि में स्थित 06 नग आम का वृक्ष है जिसकी कटाई के संबंध में अनुमति चाही गई है । इस संबंध में ईश्तहार का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र घटती–घटना , समाचार पत्र में प्रकाशित कराया गया । नियत अवधि तक कोई आक्षेप प्राप्त नहीं । राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 15.05.2025 को जारी किया गया । संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 04.07.2025 को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित शासकीय भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 3.5200 हे. भूमि पर 06 नग आम का वृक्ष है । उक्त वृक्षों को काटे जाने पर नगर पंचायत प्रतापपुर या अन्य को कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त वृक्ष किसी रोड, धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थल के किनारे पर नहीं है और न ही नदी, नाला के किनारे पर स्थित है । उक्त वृक्षों को काटने से भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है और न ही पर्यावरण को क्षति होगी । आवेदन व जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया ।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर खसरा नंबर 10 रकबा 3.5200 हे. भूमि पर 06 नग आम का वृक्ष .ग्राम प्रतापपुर प0ह0नं0. 39 तहसील प्रतापपुर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति आम वृक्ष 06 नग वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लघंन नहीं हो रहा है । अतः छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के कंडिका 3(छः) अनुसार ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हों के आधार पर ऑडिटोरियम भवन निर्माण कार्य हेतु वर्णित खसरें में लोक प्रयोजन हेतु प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष 06 नग आम का वृक्ष कटाई पर अनुमति दी जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 7(2) के अनुसार छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम , 1969(क.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का 16) के

अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम , 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करें ।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर,जिला—सूरजपुर

पृ0कमांक 2468 /वाचक/2025 प्रतापपुर,दिनांक 04/07/2025

प्रतिलिपिः—

1. कलेक्टर महोदय सूरजपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी , वनमण्डल सूरजपुर को सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी वन प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु ।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी वन विभाग प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर,जिला—सूरजपुर